भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2422

जिसका उत्तर दिनांक 15.03.2023 को दिया जाना है

अधिकतम क्षमता का सृजन

2422. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के अंतर्गत आने वाले विद्युत संयंत्रों ने अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा कुल कितनी आय का सृजन किया गया है और एनपीसीआईएल से संबंधित प्रत्येक विद्युत संयंत्र में अपनाए गए विद्युत साझेदारी पैटर्न का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर केरल राज्य में, परमाणु विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में विगत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित और संवितरित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) वर्तमान में, 6780 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता में से, आरएपीएस-1 (100 मेगावाट) विस्तारित शटडाउन के अधीन है और टीएपीएस 1 व 2 (2 X 160 मेगावाट), एमएपीएस-1 (220 मेगावाट) और आरएपीएस-3 (220 मेगावाट) विभिन्न उन्नयन/नवीकरण और आधुनिकीकरण गतिविधियों को शुरु करने के लिए परियोजना मोड के अधीन हैं। शेष 5920 मेगावाट को उनकी निर्धारित क्षमता पर प्रचालित किया जा रहा है।

(ख) एनपीसीआईएल के विद्युत संयंत्रों द्वारा पिछले पांच वर्षों में उत्पन्न कुल आय का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
प्रचालनों से आय (रुपए करोड़ में)	15,036	13,335	12,637	11,528	12,206

नाभिकीय बिजलीघरों से बिजली के आबंटन का निर्णय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा किया जाता है। एमओपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 50% बिजली 'गृह' राज्य को आबंटित की जाती है, 15% अनाबंटित बिजली भारत सरकार द्वारा निपटान हेतु रखी जाती है और 35% उस राज्य के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को आबंटित की जाती है।

(ग) सरकार ने देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वृहद् नाभिकीय विद्युत क्षमता अनुवृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है। निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 6780 मेगावाट को वर्ष 2031 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाया जाना निर्धारित है।

वर्तमान में केरल राज्य में कोई नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के प्रचालित बिजलीघरों की संरक्षा और निष्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
आबंटन (आरई) रुपए करोड़ में	991	1132	721	1067	342
व्यय रुपए करोड़ में	427.88	439.81	688.25	741.03	230.67

* * * * *